संख्या-70/2015/1694/26-3-2015-4(154)/2015टी.सी.।

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 03 जुलाई, 2015

विषयः- जनजाति उपयोजना के अन्तगत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में एकलब्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा खीरी हेतु आडिटोरियम के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-70/ज.जा.वि/2015-16, दिनांक-28-05-2015 के सन्दर्भ में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225-02-796-01-0108-24(बृहद निर्माण) में आय-ब्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपया-348.86 लाख (रूपया तीन करोड़ अड़तालिस लाख छियासी हजार मात्र) के सापेक्ष प्रश्नगत प्रायोजना की मूल्यांकित लागत रूपये-448.85/-लाख (रूपये चार करोड़ अड़तालिस लाख पचासी हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये मूल्यांकित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रूपया-224.40/-लाख (रूपये दो करोड़ चैबीस लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की अनुमति प्रदान करते हैः-

(रूपये लाख में)

क्र.स	कार्य का नाम	पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत	आय-ब्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि	अवशेष धनराशि
1	एकलब्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा खीरी में आडिटोरियम का निर्माण	448.85	224.40	224.40

(1) निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबंध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में विना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में बृद्वि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

(5) उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व समस्त वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त कर ली जायेगी। प्रायोजनान्तगत प्रस्तावित बाटआउट आइटम्स के कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(6) उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2- उपर्युक्त धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सं0-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0108-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तगत निमार्ण कार्य (के0 100 प्रतिशत)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-70/2015/1694(1)/26-3-2015 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
3- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0
5- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, एन0आई0सी0 को एक प्रति।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ)
9- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in